

5 December 2024

## एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए (ecDNA)

**सन्दर्भ:** हाल ही में eDyNAmiC टीम द्वारा किया गया शोध एक्स्ट्राक्रोमोसोमल डीएनए (ecDNA) की कैंसर की प्रगति तथा दवा प्रतिरोध में इसकी भूमिका पर नया प्रकाश डालता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल मिशेल के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने कैंसर में ecDNA के गठन और इसके योगदान की गहराई से जांच की है।

### ईसीडीएनए क्या है?

- सामान्य मानव कोशिकाओं में, डीएनए नाभिक में गुणसूत्रों के 23 जोड़ों के भीतर स्थित होता है। क्रोमोथ्रिप्सिस या डीएनए प्रतिकृति त्रुटियों जैसी प्रक्रियाओं के दौरान, डीएनए के टुकड़े टूट कर गोलाकार एक्स्ट्राक्रोमोसोमल संरचनाएं बना सकते हैं, जिन्हें ईसीडीएनए (ecDNA) के रूप में जाना जाता है।
- पहले इसे महत्वहीन माना जाता था (केवल 1.4% ट्यूमर में दिखाई देता था), लेकिन आधुनिक जीनोमिक उपकरणों से पता चला है कि ecDNA 40% कैंसर कोशिका रेखाओं और 90% मस्तिष्क ट्यूमर नमूनों में मौजूद है।

### ईसीडीएनए और कैंसर की प्रगति:

- ईसीडीएनए में अक्सर ऑन्कोजीन (कैंसर के विकास के लिए जिम्मेदार जीन) की कई प्रतियां होती हैं। गुणसूत्रीय डीएनए के विपरीत, जो स्थिर होता है, ईसीडीएनए गतिशील होता है और अन्य ईसीडीएनए के साथ अंतःक्रिया करके ऑन्कोजीन हब बना सकता है।
- ये हब ऑन्कोजीन गतिविधि को बढ़ाते हैं और कुछ तो गुणसूत्रीय डीएनए की तुलना में चार गुना अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह अति ट्यूमर के विकास को तेज करती है और दवा प्रतिरोध में योगदान देती है।

### ईसीडीएनए और मेंडल के नियम:

- ईसीडीएनए मेंडल के तीसरे नियम को चुनौती देता है, जो कहता है कि अलग-अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीन स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं।
- कोशिका विभाजन के दौरान, ईसीडीएनए समूह बना सकता है, जिससे कैंसर कोशिकाएं आनुवंशिक संयोजन को कई पीढ़ियों तक बनाए रख सकती हैं। इसे 'जैकपॉट प्रभाव' कहा जाता है, जो ट्यूमर के विकास और अस्तित्व को बढ़ाता है।
- यह खोज आनुवंशिक विरासत को नए तरीके से समझाती है और दिखाती है कि सभी जीन यादृच्छिक रूप से विरासत में नहीं मिलते।

### कैंसर उपचार हेतु ecDNA:

- ईसीडीएनए और सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के बीच इंटरएक्शन से

डीएनए में नुकसान होता है, जिससे मरम्मत के लिए CHK1 प्रोटीन की जरूरत होती है।

- BBI-2779 नामक दवा, जो CHK1 को रोकती है, का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि यह केवल कैंसर कोशिकाओं को मारती है और पेट के कैंसर वाले चूहों में ट्यूमर के आकार को घटाती है।
- इससे यह संभावना है कि ईसीडीएनए से संबंधित कैंसरों जैसे ग्लियोब्लास्टोमा, डिम्बग्रंथि के कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के लिए नए उपचार विकसित हो सकते हैं, जहां पारंपरिक इलाज अक्सर विफल हो जाते हैं।

### ईसीडीएनए के निहितार्थ:

- 17% ट्यूमर नमूनों में ईसीडीएनए पाया जाता है और इसकी उच्च सांद्रता लिपोसार्कोमा, मस्तिष्क ट्यूमर और स्तन कैंसर में देखी जाती है। कीमोथेरेपी के बाद इसकी प्रसार दर में वृद्धि होती है और ईसीडीएनए मेटास्टेसिस (कैंसर के फैलने) के साथ संबंधित पाया जाता है।
- ये निष्कर्ष वर्तमान कैंसर जीवविज्ञान और आनुवंशिक सिद्धांतों को चुनौती देते हैं, जिससे ईसीडीएनए कैंसर अनुसंधान और उपचार विकास का केंद्रीय केंद्र बन जाता है।

## आईसीजे ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन मामले की सुनवाई शुरू की

**सन्दर्भ:** हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन मामले पर सुनवाई शुरू की है, जिसे वानुअतु नामक एक छोटे द्वीप राष्ट्र ने प्रस्तुत किया है, जोकि बढ़ते समुद्र स्तरों के कारण अपने अस्तित्व के लिए गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह मामला देशों के जलवायु संरक्षण के कानूनी दायित्वों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए जिम्मेदार लोगों पर परिणाम तय करने के लिए सलाह मांगता है। इस मामले का वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

- वानुअतु का प्रस्ताव:** यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसे 132 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। वानुअतु, अन्य छोटे द्वीप देशों के साथ, जलवायु परिवर्तन से सीधे तौर पर खतरे में है और जलवायु क्षति को कम करने के लिए देशों के दायित्वों के बारे में कानूनी स्पष्टता की कमी को दूर करना चाहता है।
- मुख्य प्रश्न:**
  - जलवायु प्रणाली की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत देशों के क्या दायित्व हैं?
  - जलवायु प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले देशों के लिए कानूनी परिणाम क्या हैं?
- प्रासंगिक कानूनी ढाँचे:** यह मामला कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचों पर आधारित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क

Face to Face Centres



5 December 2024

कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौता, साथ ही अन्य कानून जैसे समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा शामिल हैं। यह रेखांकित करता है कि जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय और मानवाधिकार मुद्दा दोनों है।



### मामले का महत्व:

- यद्यपि आईसीजे की राय सलाहकार है, फिर भी इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है:
  - » **जलवायु दायित्वों की पुनः पुष्टि:** यह मामला जलवायु संरक्षण के लिए कानूनी दायित्वों को सशक्त कर सकता है, विशेषकर विकसित देशों को उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन और जलवायु वित्त लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहने पर अधिक जिम्मेदार ठहराकर, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जा सके।
  - » **जलवायु क्षति के लिए कानूनी परिणाम स्थापित करना:** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जलवायु क्षति का कारण बनने वाले देशों के लिए कानूनी परिणामों को परिभाषित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से छोटे द्वीप देशों जैसे कमजोर देशों के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
  - » **वैश्विक जलवायु वार्ता को प्रभावित करना:** सलाहकारी राय सी.ओ.पी. वार्ता को प्रभावित कर सकती है, विकसित देशों से पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह कर सकती है और जलवायु वित्त के लिए आह्वान को सुदृढ़ कर सकती है।
  - » **जलवायु मुकदमेबाजी के लिए मिसाल:** आईसीजे का निर्णय भविष्य में जलवायु संबंधित मुकदमों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे कानूनी स्पष्टता आएगी और दुनिया भर में जलवायु से संबंधित मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा।

### आईसीजे की परामर्शात्मक राय के बारे में:

- परामर्शात्मक राय जारी करने का आईसीजे का अधिकार उसके कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर से प्राप्त होता है:
  - » **आईसीजे कानून का अनुच्छेद 65:** यह अनुच्छेद आईसीजे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अधिकृत निकायों या एजेंसियों के

अनुरोध पर परामर्शात्मक राय देने का अधिकार प्रदान करता है।

- » **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 96:** यह अनुच्छेद परामर्शात्मक राय प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, महासभा और सुरक्षा परिषद को राय प्राप्त करने का अधिकार देता है और अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों को महासभा की मंजूरी के साथ ऐसा करने के लिए अधिकृत करता है।

### ब्रिटेन का सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक

**सन्दर्भ:** हाल ही में मरणासन्न रूप से बीमार वयस्क (जीवन का अंत) विधेयक (टर्मिनली इल एडल्ट्स (एंड ऑफ लाइफ) बिल) के पारित होने के साथ, ब्रिटेन ने सहायता प्राप्त मृत्यु (Assisted Dying) को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह विधेयक उन मरणासन्न वयस्कों को, जोकि असाध्य रोगों से ग्रस्त हैं और असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे हैं, यह अधिकार प्रदान करता है कि वे चिकित्सकीय सहायता से अपने जीवन का समापन करने का अनुरोध कर सकें।

### ब्रिटेन के सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक के मुख्य पहलू:

- **पात्रता मापदंड:**
  - » केवल वही मरणासन्न रोगी सहायता प्राप्त मृत्यु का अनुरोध कर सकते हैं जिनके जीवित रहने की संभावना छह महीने या उससे कम है।
  - » रोगी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, और कम से कम 12 महीने से इंग्लैंड या वेल्स का निवासी होना चाहिए।
- **प्रक्रिया:**
  - » रोगी को समन्वयकारी डॉक्टर और एक स्वतंत्र गवाह के समक्ष औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
  - » समन्वयकारी डॉक्टर द्वारा अनुरोध का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद 7 दिनों की चिंतन अवधि समाप्त होने पर एक स्वतंत्र डॉक्टर द्वारा पुनः मूल्यांकन किया जाएगा।
  - » यदि दोनों डॉक्टर सहमत होते हैं, तो मामला उच्च न्यायालय में समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। रोगी द्वारा अपने निर्णय की अंतिम पुष्टि से पहले 14 दिनों की एक अतिरिक्त चिंतन अवधि भी अनिवार्य है।
- **स्वीकृत पदार्थ का सेवन:**
  - » रोगी अपना जीवन समाप्त करने के लिए स्वयं ही एक 'स्वीकृत पदार्थ' का सेवन करता है, तथा इसमें कोई भी डॉक्टर सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है।

### विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तर्क:



5 December 2024

- **पक्ष में तर्क:** समर्थकों का मानना है कि सहायता प्राप्त मृत्यु, असाध्य रूप से बीमार रोगियों को एक सम्मानजनक और पीड़ामुक्त मृत्यु का विकल्प प्रदान करती है, खासकर तब जब उपशामक देखभाल (Palliative Care) असफल हो जाती है। यह विधेयक रोगियों को अपने जीवन के अंतिम चरण में आत्मनिर्णय का अधिकार देता है।
- **विपक्ष में तर्क:** विरोधियों को चिंता है कि यह कानून बुजुर्गों, विकलांगों और अन्य कमजोर समूहों के लिए शोषण का कारण बन सकता है। वे यह तर्क देते हैं कि बजाय इच्छामृत्यु को वैध बनाने के, उपशामक देखभाल में सुधार किया जाना चाहिए ताकि रोगियों को बेहतर राहत मिल सके।

### भारत में सहायता प्राप्त मृत्यु: निष्क्रिय इच्छामृत्यु

- भारत में सहायता प्राप्त मृत्यु की अवधारणा ब्रिटेन से भिन्न है, क्योंकि यहां केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता प्राप्त है। इसमें गंभीर रूप से बीमार रोगियों से जीवन रक्षक प्रणाली हटा दी जाती है, ताकि उन्हें स्वाभाविक रूप से मरने दिया जा सके।

### कानूनी स्थिति:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में यह निर्णय दिया था कि सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसके तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई।

### निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देश:

- जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए रोगी को लिविंग विल (Living Will) बनानी होगी, जिस पर दो गवाहों और एक

न्यायिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

- जीवन रक्षक प्रणाली हटाए जाने से पहले, एक मेडिकल बोर्ड द्वारा मामले का मूल्यांकन किया जाएगा।

### हालिया सुधार:

- 2023 में दिशानिर्देशों को सरल बनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका को कम किया गया और सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई, हालांकि इन संशोधनों का प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी सीमित है।

### ब्रिटेन और भारत के कानूनों की तुलना

- **कानून की प्रकृति:** ब्रिटेन में स्व-प्रशासन के माध्यम से सक्रिय सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है, जबकि भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता प्राप्त है, जिसमें जीवन रक्षक प्रणाली हटाने का निर्णय लिया जाता है।
- **पात्रता और सहमति:** दोनों देशों में मानसिक क्षमता और सहमति की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन में कई चिकित्सा और न्यायिक समीक्षाओं की आवश्यकता होती है, जबकि भारत में लिविंग विल और न्यायिक जांच पर निर्भर करता है।
- **प्रक्रिया और सुरक्षा:** स्वैच्छिक और सूचित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों में चिकित्सा और न्यायिक प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **दायरा और अनुप्रयोग:** ब्रिटेन में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सहायक मृत्यु की अनुमति है, जबकि भारत में सक्रिय हस्तक्षेप के बिना केवल जीवन रक्षक प्रणाली हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

## पावर पैक न्यूज

### न्यूजीलैंड में दुर्लभ कुदाल-दांतेदार व्हेल (Spade-toothed whale) का अध्ययन

- हाल ही में न्यूजीलैंड में वैज्ञानिक दुनिया की सबसे दुर्लभ व्हेल प्रजातियों में से एक, कुदाल-दांतेदार व्हेल का अध्ययन कर रहे हैं। यह पहली बार है जब किसी पूरे नमूने की जांच की जा रही है। जुलाई में ओटागो के तट पर पांच मीटर लंबी यह नर व्हेल बहकर आई थी, जिससे शोधकर्ताओं को इसके बारे में और अधिक जानने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ।
- कुदाल-दांतेदार व्हेल का नाम उसके कुदाल के आकार के दांतों के कारण रखा गया है। 1800 के दशक से अब तक इनमें से केवल सात व्हेल दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। ये व्हेल गहरे समुद्र में रहने वाली और स्क्वड और छोटी मछलियों का शिकार करने वाली गहरी गोताखोर हैं।
- विच्छेदन (dissection) का कार्य मोसगिल में किया जा रहा है। वैज्ञानिक व्हेल के शरीर का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसके पेट, उसके आवाज निकालने के तरीके और अन्य विशेषताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। इसका उद्देश्य व्हेल को बेहतर तरीके से समझना और संरक्षण में मदद करना है।
- ओटागो के माओरी लोग, जिनके पास इस क्षेत्र पर सांस्कृतिक अधिकार हैं, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। व्हेल के कंकाल को ओटागो संग्रहालय में रखा जाएगा, लेकिन जबड़े की हड्डी को सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित किया जाएगा।



### Face to Face Centres




5 December 2024

### विदेश में खुलेगे वन-स्टॉप सेंटर

- हाल ही में विदेश मंत्रालय को नौ वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य विदेशों में संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। ये केंद्र महिलाओं को तत्काल सहायता और व्यापक सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे उनकी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- प्रस्तावित केंद्रों में से सात खाड़ी देशों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल हैं, जबकि दो केंद्र सऊदी अरब (जेद्दा और रियाद) में स्थापित किए जाएंगे।
- शेष दो केंद्र टोरंटो और सिंगापुर में होंगे, हालांकि वहां आश्रय सुविधाएं नहीं होंगी। इन पहलों को उनके कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक समर्पित बजट लाइन द्वारा समर्थन प्राप्त होगा।
- भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF), जोकि दुनिया भर में भारतीय मिशनों में सक्रिय रहा है, इन पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2017 में संशोधित ICWF अब आपातकालीन सहायता, कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और प्रत्यावर्तन सहित सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला को कवर करता है।
- यह भारतीय महिलाओं के लिए विशेष सहायता भी प्रदान करता है। इसमें पतियों द्वारा त्यागी गई महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और परामर्श भी शामिल है तथा हिरासत में लिए गए नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ कानूनी मामलों में जुर्माने के भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है।

### राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जल शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल प्रौद्योगिकी

- हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 'नैनो बबल टेक्नोलॉजी' का शुभारंभ किया। यह तकनीक तालाब के पानी को साफ और शुद्ध करके जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है।
- यह शैवाल की वृद्धि को कम करने का कार्य करती है, जोकि दुर्गंध और पानी के रंग को खराब कर सकता है। इसका लक्ष्य पानी को साफ रखना है, जिससे जानवरों की भलाई सुनिश्चित हो सके।
- स्वच्छ जल बीमारियों को रोकने में मदद करता है और जीवों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाए रखता है। यह तकनीक पानी में छोटे नैनोबबल्स मिलाती है जिनका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिससे वे दूषित पदार्थों को हटाने में प्रभावी होते हैं।
- यह पहल जलीय जीवन की रक्षा और चिड़ियाघर में स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



### नेटुम्बो नदी- नदैतवाह: नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति

- हाल ही में नेटुम्बो नदी-नदैतवाह ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 8वें राष्ट्रपति चुनाव में 57% से अधिक वोट हासिल करके अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी पंडुलेनी को हराया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (SWAPO) के सदस्य नदी-नदैतवाह 1990 में देश की आजादी के बाद से नामीबिया की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं।
- SWAPO ने नेशनल असेंबली में भी 96 में से 51 सीटें हासिल करके बहुमत प्राप्त किया। नदी-नदैतवाह का चुनाव अफ्रीका में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है।
- राष्ट्रपति के रूप में, वह नामीबिया के विकास को जारी रखने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक मुद्दों जैसे प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर काम करेंगी।



### ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024: 'ब्रेन रोट'

- ऑक्सफोर्ड द्वारा 2024 का शब्द 'ब्रेन रोट' चुना गया है। यह शब्द ऑनलाइन तुच्छ सामग्री को देखने में अत्यधिक समय बिताने के कारण होने वाली

### Face to Face Centres



5 December 2024

संज्ञानात्मक गिरावट को वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह शब्द इस चिंता को दर्शाता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

- 'ब्रेन रोट' छह शॉर्टलिस्ट किए गए शब्दों में से एक था जिस पर 37,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया। अन्य शब्दों में 'डायनेमिक प्राइसिंग, लोर और स्लोप' शामिल थे।
- 'ब्रेन रोट' वाक्यांश का प्रयोग पहली बार 1854 में हेनरी डेविड थोरो ने अपनी पुस्तक 'वालडेन' में किया था, लेकिन आज के डिजिटल युग में इसने नया अर्थ प्राप्त कर लिया है।
- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इस शब्द का चयन इस बढ़ती चिंता को उजागर करता है कि किस प्रकार निम्न-गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अत्यधिक उपयोग संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित कर रहा है, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच।

## उबेर शिकारा: डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा

- हाल ही में, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा 'शिकारा' जम्मू और कश्मीर के डल झील में शुरू की है। यह नई सेवा पर्यटकों को उबर ऐप के माध्यम से पहले से तय शिकारा सवारी बुक करने की सुविधा प्रदान करती है।
- यह परिवहन सेवा आगंतुकों को झील का पता लगाने का एक सुविधाजनक और आकर्षक तरीका प्रदान करती है। शिकारा डल झील के बीच में एक लोकप्रिय द्वीप नेहरू पार्क में स्थित है और इसमें चार यात्री तक सवार हो सकते हैं।
- उबर शिकारा उन सेवाओं के समान है जोकि कंपनी ने इटली के वेनिस जैसे अन्य यूरोपीय शहरों में शुरू की हैं। इस सेवा से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने और पारंपरिक परिवहन के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध होने की उम्मीद है।



## पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया

- यूनेस्को ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। यह सम्मान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को उजागर करता है। यह मान्यता राज्य में हेरिटेज पर्यटन के विकास को भी मान्यता देती है, जिसने हजारों युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए हैं।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में 2,489 होमस्टे स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 65% उत्तर बंगाल में स्थित हैं।
- सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण और गंगा सागर द्वीप पर मुरीगंगा नदी पर पुल का निर्माण शामिल है।
- यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दिए जाने से अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय समुदायों को सहयोग देने वाले स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।



## Face to Face Centres

